21/3/23	प्रचावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 18/4/23 को पेश हो।
18/4/23	प्रचावली पेश हु[illegible]धिकारी मुख्यालय से बाहर [illegible] पूर्वानुसार 9/6/23 को पेश हो।
9/6/23	प्रचावली पेश हुई, पीठासीन अधिकारी मुख्यालय से बाहर हैं। पूर्वानुसार 11/7/23 को पेश हो।
11/7/23	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० अप्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र पेश किया जो शामिल पत्रावली है। प्रा०पत्र T.I. पर उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 18/7/23 को पेश हो।
18/7/23	पत्रावली पेश हुई। अभि० उभयपक्ष उप० अप्रार्थी के विरुद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा तफ्सील वाद जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी के रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें विस्तृत निर्णय पृथक से लिखवाया जाकर शामिल पत्रावली है पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तकमील रिकॉर्ड दफ्तर के साथ संलग्न हो।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner

न्यायालय सहायक कलक्टर उच्चैन(भरतपुर)

पीठासीन अधिकारीः— श्री जोगेन्द्र सिंह (आर.ए.एस)
वाद कमांकः— 147 / 2022

1. पीतम पुत्र रमेश जाति लोधा निवासी जरीला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....प्रार्थी

बनाम

1. रमेश पुत्र प्यारेलाल जाति लोधा निवासी जरीला तहसील रूपवास जिला भरतपुर राज0।

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र बाबत् अस्थायी निषेधज्ञा
अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थितिः—
1. श्री पुरूषोत्तम सिनसिनवार एडवोकेट
2. श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट

निर्णय दिनांकः— 18.07.2023

प्रार्थी के अभिभाषक ने उक्त प्रार्थना पत्र राजस्थान कास्तकारी अधिनियम की धारा 212 आर.टी.ए. के तहत पेश कर निवेदन किया है कि आराजी खसरा नम्बर 1000 / 306 / 0.04, 1005 / 313 / 0.05, 1010 / 546 / 0.05, 1015 / 547 / 0.07, 1020 / 556 / 0.13, 1030 / 573 / 0.02, 1035 / 575 / 0.04, 945 / 15 / 0.04, 950 / 54 / 0.03, 955 / 86 / 0.08, 960 / 116 / 0.01, 965 / 143 / 0.04, 970 / 152 / 0.02, 975 / 181 / 0.01, 980 / 192 / 0.09, 985 / 260 / 0.11, 990 / 260 / 0.01, 995 / 273 / 0.04 वाकै ग्राम जरीला तहसील रूपवास में स्थित है। नकल जमाबंदी सम्बत् 2074 से 2077 संलग्न है।

वादी के पिता का कर्ताखानदान होने के कारण राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज है उक्त आराजी वादी प्रार्थी के बाबा प्यारेलाल की छोडी हुई आराजी है। अप्रार्थी जो कि प्रार्थी का पिता है को नशे व सट्टे की बुरे व्यसन लगे हुये है जो अपनी बुरी आदतों की पूर्ति के लिये प्रार्थी के हिस्से की आराजी विक्रय करने पर तुला हुआ है पूर्व में भी कुछ जमीन अपने बुरे व्यसनों की पूर्ति हेतू विक्रय कर चुका है। अप्रार्थी विवादित आराजी को रहनवय मुन्तकिल कर विवादित आराजी से प्रार्थी को बेदखल कर देना चाहता है इस बाबत् अप्रार्थी ने प्रार्थी को दिनांक 20.11.2022 को स्पस्ट तौर पर धमकी दी है कि वह विवादित आराजी को शीघ्र ही किसी दीगर व्यक्ति को रहन वय मुन्तकिल कर देगा या वसीयत करेगा। उक्त धमकी से व्यथित होकर प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र इस न्यायालय में पेश किया है।

सहायक कलक्टर
उच्चैन (भरतपुर)

Scanned with ACE Scanner

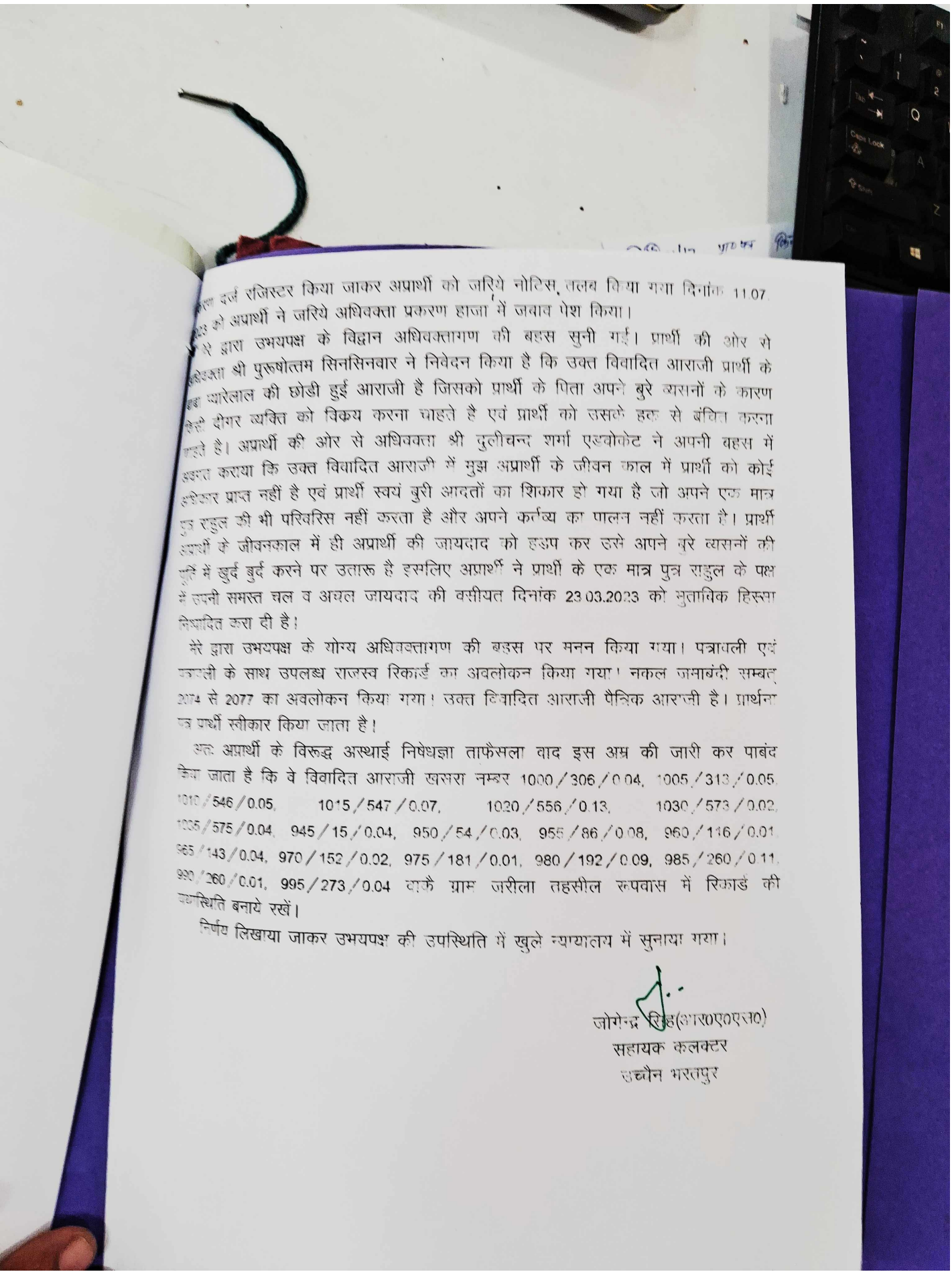

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया दिनांक 11.07.2023 को अप्रार्थी ने जरिये अधिवक्ता प्रकरण हाजा में जवाब पेश किया।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री पुरूषोत्तम सिनसिनवार ने निवेदन किया है कि उक्त विवादित आराजी प्रार्थी के बाबा प्यारेलाल की छोडी हुई आराजी है जिसको प्रार्थी के पिता अपने बुरे व्यसनों के कारण किसी दीगर व्यक्ति को विक्रय करना चाहते है एवं प्रार्थी को उसके हक से वंचित करना चाहते है। अप्रार्थी की ओर से अधिवक्ता श्री दुलीचन्द शर्मा एडवोकेट ने अपनी बहस में अवगत कराया कि उक्त विवादित आराजी में मुझ अप्रार्थी के जीवन काल में प्रार्थी को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है एवं प्रार्थी स्वयं बुरी आदतों का शिकार हो गया है जो अपने एक मात्र पुत्र राहुल की भी परिवरिस नहीं करता है और अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता है। प्रार्थी अप्रार्थी के जीवनकाल में ही अप्रार्थी की जायदाद को हडप कर उसे अपने बुरे व्यसनों की पूर्ति में खुर्द बुर्द करने पर उतारू है इसलिए अप्रार्थी ने प्रार्थी के एक मात्र पुत्र राहुल के पक्ष में अपनी समस्त चल व अचल जायदाद की वसीयत दिनांक 23.03.2023 को मुताबिक हिस्सा निष्पादित करा दी है।

मेरे द्वारा उभयपक्ष के योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली एवं नकली के साथ उपलब्ध राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किया गया। नकल जमाबंदी सम्वत् 2074 से 2077 का अवलोकन किया गया। उक्त विवादित आराजी पैत्रिक आराजी है। प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाता है।

अतः अप्रार्थी के विरूद्ध अस्थाई निषेधज्ञा ताफैसला वाद इस अम्र की जारी कर पाबंद किया जाता है कि वे विवादित आराजी खसरा नम्बर 1000/306/0.04, 1005/313/0.05, 1010/546/0.05, 1015/547/0.07, 1020/556/0.13, 1030/573/0.02, 1035/575/0.04, 945/15/0.04, 950/54/0.03, 955/86/0.08, 960/116/0.01, 965/143/0.04, 970/152/0.02, 975/181/0.01, 980/192/0.09, 985/260/0.11, 990/260/0.01, 995/273/0.04 वाके ग्राम जरीला तहसील रूपवास में रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें।

निर्णय लिखाया जाकर उभयपक्ष की उपस्थिति में खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जोगेन्द्र सिंह(आर०ए०एस०)
सहायक कलक्टर
उच्चैन भरतपुर